पत्रांक- विधि- 4(1)/ परिपत्र भाग- 4/(2015-16)// 1848/1617043 // वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
(विधि-अनुभाग)
दिनांक:: लखनऊ, 24 अक्टूबर, 2016

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,
समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0),
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक/वि0अनु0शा0),
समस्त प्रभारी सचल दल इकाईयॉं,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

आप अवगत है कि उ0प्र0 स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम- 2007 के अन्तर्गत ऑनलाइन क्रय अथवा ई-कॉमर्स के माध्यम से स्थानीय क्षेत्र में विनिर्दिष्ट माल के प्रवेश पर कर संग्रहीत करने की प्रक्रिया परिपत्र सं0-विधि-4(ए)/अधिनियम/नियमावली संशोधन-1/2016-17// वाणिज्य कर, दिनांक 21-09-2016 से निर्धारित की गयी है, जिसके अनुसार प्रदेश के अन्दर माल के प्रवेश के पूर्व माल परिवहनकर्ता ट्रान्सपोर्टर/कूरियर/परिदान अभिकर्ता/अभिकर्ता/माल वाहक को फार्म-(EC) डाउनलोड करना होगा तथा माल के गन्तव्य स्थल पर पहुँचने तक परिवहन के दौरान माल के साथ रखना अनिवार्य होगा।

कतिपय माल परिवहनकर्ता ट्रान्सपोर्टर एवं कूरियर कम्पनियों द्वारा अवगत कराया गया है कि सचलदल इकाईयों द्वारा परिवहन के समय माल के साथ फार्म-(EC) में माल के गन्तव्य स्थल की घोषणा के बावजूद भी परिवहित माल को इस आधार पर रोका जा रहा है कि परिवहनकर्ता ट्रान्सपोर्टर या कूरियर कम्पनी का मुख्य व्यापार स्थल एवं गन्तव्य स्थल में भिन्नता है। उक्त के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि परिवहनकर्ता ट्रान्सपोर्टर या कूरियर कम्पनी द्वारा प्रांत बाहर से जिस वाहन से माल ट्रान्सशिपमेन्ट स्थल तक लाया जाता है उसके लिए फार्म-(EC) जनरेट किया जायेगा तथा ट्रान्सशिपमेन्ट स्थल से गन्तव्य स्थल (destination place) तक माल का परिवहन यदि किसी दूसरे वाहन से भी किया जाता है, तब भी इसी फार्म-(EC) की प्रति माल के परिवहन के दौरान साथ रखी जायेगी तथा ट्रान्सशिपमेन्ट स्थल से गन्तव्य स्थल तक माल ले जाने हेतु पुन: फार्म-(EC) जनरेट किया जाना अपेक्षित नही है। अत: यदि परिवहनकर्ता ट्रान्सपोर्टर या कूरियर कम्पनी द्वारा जनरेटेड फार्म-(EC) में माल के गन्तव्य स्थल की घोषणा की गयी है तथा माल घोंषणा के अनुरूप है तो अनावश्यक रूप से माल को रोका न जाए।

इसी प्रकार यह भी संज्ञान में लाया गया है कि ऑनलाइन क्रय अथवा ई-कामर्स के माध्यम से प्रान्त बाहर से प्रान्त अन्दर लाए जाने वाले माल की घोषणा फार्म-(EC) में किए जाने के बावजूद भी परिवहनकर्ता ट्रान्सपोर्टर या कूरियर कम्पनी से फार्म-39 की मांग सचल दल अधिकारियों द्वारा की जा रही है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 के धारा-50 सपठित वैट नियमावली-2008 के नियम-57 के अन्तर्गत फार्म-39 अनिवार्य नहीं है। यदि माल के सम्बन्ध में प्रवेश कर का भुगतान करके फार्म-(EC) डाउनलोड किया गया है तथा माल के परिवहन के समय फार्म-(EC) माल के साथ उपलब्ध है, तो ऐसे मामलों में फार्म-39 की मांग न की जाए।

अत: ऑनलाइन क्रय अथवा ई-कामर्स के माध्यम से परिवहित होने वाले करयोग्य माल की गहन चेकिंग की जाये, किन्तु SPN होन्डर्स द्वारा परिवहित होने वाले माल में अनावश्यक कोई बाधा उत्पन्न न की जाये, यदि ट्रान्सपोर्टर/कूरियर कम्पनी/परिवहनकर्ता को फार्म-(EC) जनरेट करने में कोई कठिनाई हो रही है तो उसकी समस्या का तत्काल निराकरण किया जाये तथा फार्म-(EC) जनरेट करने हेतु समुचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाये।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

24/10/16

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।